UPEW010045252019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी(पी0ए0)एक्ट कक्ष सं02,इटावा।
परिवाद सं0 2800129/2019
सीएनआर सं0 यू0पी0ई0डब्लू0–01004525–2019

वीरेन्द्र कुमार बनाम रामसेवक आदि

दि0– **20.01.2021**

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी। पूर्व तिथि पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर सुना जा चुका है।

मैनें पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी ने धारा 156(3)दं0प्र0सं0 के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय के आदेश दिनांकित 12.09.2019 द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया।

परिवाद पत्र में किये गये कथनों को समर्थित करते हुये परिवादी वीरेन्द्र कुमार ने अपने सशपथ बयान अन्तर्गत धारा–200 दं0प्र0संहिता में कहा है कि वह धोबी जाति का है। दिनांक 26.07.2019 को शाम 8बजे जब वह सभी परिवारीजन घर पर थे तभी जोर जोर से खटखट की आवाज आई। उसका बड़ा लड़का अभिनेष किशन तथा वह खुद व अभिषेक आवाज सुनकर घर के बाहर निकले। उसके घर के सामने उसके प्लाट में बनी दीवार को रामसेवक,अनेश पाल,विनेश पाल,सुनील पाल एवं कल्पना व अनीता तोड़ रहे थे। दीवार तोड़ने से जब मना किया तो उन्होंने उससे कहा कि ''तुझे मैं देख लूंगा,जान से मार दूंगा,धोबिया तेरे दिमाग ज्यादा खराब हो रहे हैं।'' फिर वे लोग लाठी,डण्डा लेकर उन सभी लोगों को मारने दौड़े जिस पर वे लोग घर में चले गये। यह लोग भी लाठी,डण्डा लेकर घर में घुस आये और मारपीट की तथा सामान की तोड़फोड़ की। पुत्र अभिवन व उसकी पत्नी किरन को चोंटें आई हैं,फिर मारने की धमकी देते हुए चले गये।

परिवादी के उक्त बयान को साक्षी सी0डब्लू0–1 ग्रीश चन्द्र,सी0डब्लू0–2 अभिनव कुमार ,सी0डब्लू0–3 रामप्रकाश एवं सी0डब्लू0–4 सन्तोष कुमार ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–202 दं0प्र0संहिता से समर्थित किया है। परिवादी की ओर से दाखिल आघात आख्या व जाति प्रमाण पत्र से परिवाद पत्र में किए गये कथन को समर्थन मिलता है।

परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा–200 द0प्र0संहिता व साक्षीगण के बयान अन्तर्गत धारा–202 द0प्र0संहिता में अभियुक्तगण के द्वारा घर में घुसकर उनके साथ मारपीट करना, घर के सामने प्लाट में बनी दीवार की तोड़फोड़ करना,गाली व जान से मारने की धमकी देना तथा जाति सूचक शब्द से सम्बोधित करना अभिकथित है।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये सम्पूर्ण साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण रामसेवक,अनेश पाल,विनेश पाल,सुनील पाल,कल्पना देवी एवं अनीता देवी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा–452,323,504,506,427 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)(आर) व (एस), 3(2)(5ए) एससी/एसटी (पी.ए.) एक्ट का आपराधिक मामला बनता हुआ पाया जाता है। अतः उन्हें उक्त अपराध में विचारण हेतु तलब किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण रामसेवक,अनेश पाल,विनेश पाल,सुनील पाल,कल्पना देवी एवं अनीता देवी को धारा– 452,323,504,506,427 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)(आर) व (एस), 3(2)(5ए) एससी/एसटी (पी.ए.) एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु दिनांक–**15.02.2021** के लिये समन द्वारा तलब किया जाये ।

परिवादी धारा–204 दं0प्र0संहिता के अनुसार यथेष्ठ पैरवी अन्दर **10** दिन करे।

(हुसैन अहमद अंसारी)
विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी(पी0ए0)एक्ट
न्यायालय,कक्ष संख्या–2,इटावा।
20.01.2021

सीएमएम

Digitally signed by Husain Ahmad Ansari
Date: 2021.01.20 17:32:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court